कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 137/2023

निर्णय दिनांक :-29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

अनिता पत्नी चन्द्रप्रकाश माहेश्वरी जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीया–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.) **–अप्रार्थी–**

उपस्थितः–

श्री महावीर सिंह राठोड़
अधिवक्ता प्रार्थीया

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् पत्थर गढ़ी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त आराजी हाल खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 233 रकबा 0.72 है., खसरा नम्बर 267 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 एवं खाता संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर 268 रकबा 0.81 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है0 वाके तनग्राम माधोसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थिया की खातेदारी की कृषि भूमि हैं। प्रार्थिया सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से बतौर खातेदार काबिज–काश्त हैं। वर्तमान में उक्त आराजीयातखाली पड़ी हैं। अभी वर्तमान में आस–पास के खेत वालों ने प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर मेड़/डोल को नष्ट कर दी हैं। प्रार्थिया के खेत के पड़ौसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थिया की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हैं तथा सीमा ज्ञान के चिन्हों को धीरे–धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे हैं। इस कारण से प्रार्थिया अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहती हैं। ताकि प्रार्थिया की आराजी के पड़ौसी काश्तकार प्रार्थिया की भूमि को अपने खेतों में नहीं मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थिया जब भी अपने खेत पर जाती हैं तो उन्हें वहां पर सीमा चिन्ह नहीं मिलते हैं। वर्तमान में खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढ़ी की

जाती हैं तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और प्रार्थिया मुकदमाबाजी से बच जायेगी।अप्रार्थी तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला–टोंक लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इसलिए अप्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे। प्रार्थिया की कृषि भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थिया अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 233 रकबा 0.72 हे., खसरा नम्बर 267 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 एवं खाता संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर 268 रकबा 0.81 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है0 वाके तनग्राम माधोसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, की पत्थरगढी किये जाने के आदेश श्रीमान् तहसीलदार देवली को दिये जाकर प्रार्थीगण के पड़ोसी खातेदारो की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाई जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–उक्त आराजी आवेदक की खातेदाी में दर्ज होकर कब्जेकाश्त है। कब्जेकाश्त में किसी अन्य खातेदार का आंशिक रूप से ख. नं. 267, 268 की उतरी मेंड़ पर कब्ज है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद है। ख. नं 267, 268 ग्राम पनवाड़ के ख. नं. 55 व 56 से सटे हुए है। ग्राम पनवाड़ के ख. नं. 55 व 56 के खातेदार क्रमशः सत्यनारायण पुत्र गोपी, मनी पत्नी गोपी धाकड़ व बद्री पुत्र हरनाथ धाकड़ से सीमा विवाद होना बताया गया है। ख. नं. 233 में अन्य से कोई विवाद नहीं है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेकद की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में तहसीलदार देवली के आदेश क्रमांक 10/18.04.22 से सीमाज्ञान हो चुका है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के साथ ही मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थगन पाबन्द करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर, रिपोर्ट अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खसरा नम्बर 267, 268 व 233 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 233 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 एवं खाता संख्या 3 ख. नं. 268 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली आराजी की पत्थगगढी नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, विधिवत् पत्थरगढी, प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होने पर तथा प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली